प्रपत्र– 2.1

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी में सुल्ताननगरी वन ब्लॉक के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक के "प्रशासनिक कार्यालय" हेतु भवन निर्माण

भाग– II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के छकाता राजि के अन्तर्गत सुल्ताननगरी वन ब्लॉक में प्रस्तावित है।
(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii) जिला	जिला– नैनीताल
(iii) जिला वन प्रभाग	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	0.4020 हैक्टेयर
17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:	आरक्षित वन भूमि
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:	
(i) वन का प्रकार	आरक्षित वन
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.40
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	सूचना प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 25 में प्रपत्र–15 में दी गई है
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	
19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	उक्त वन भूमि सी0आर0पी0एफ0 कैम्पस व नाले के मध्य का क्षेत्र है जिसमें भूक्षरण की सम्भावना क्षीण है।
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	0.00 कि0मी0
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	
(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	उक्त वन भूमि के आस–पास की वन भूमि सी0आर0पी0एफ0 ट्रेनिंग सैंटर व आयकर विभाग को पूर्व में हस्तान्तरित की गई है। क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्य जीवों की संख्या नगण्य है।
(ii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	उक्त वन प्रभाग के अन्तर्गत "शिवालिक ऐलिफेन्ट रिर्जव" के अन्तर्गत घोषित है। उक्त सूचना पृष्ठ सं0 77-78 में दी गई है।
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की समी से दस कि0मी0 के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं
(iv) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि0मी0 के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	नहीं
2.2 क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किये जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन0ओ0सी0) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं
23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :	
(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	उक्त सूचना प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 19 के प्रपत्र–10 में दी गई है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	नहीं

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं)	नहीं
(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही	नहीं
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं)	नहीं
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे:	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	लागू नहीं है।
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षति पूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौर दें।	
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है। (हां/नहीं)।	
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दुष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्ताता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न है। (हां/नहीं)।	
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्पपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। (हां/नहीं)।	उक्त सूचना प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 13 के प्रपत्र–05 में दी गई है।
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें	प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

स्थानः हल्द्वानी

तारीखः 21/8/2017

हस्ताक्षर

नामः– (डॉ0 सी0 एस0 सनवाल)

प्रभागीय वनाधिकारी

शासकीय मुद्रा हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.